न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 51/2017

1. दीपसिह	पिसरान कपूरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासीगण
2. अवतारसिंह	चक 3 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—— **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. गुरमेजसिंह पुत्र उतमसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सेली के पास नानुवाणा रोड़ तहसील राणिया जिला हिसार (हरियाण)
2. समुन्द्रसिंह पुत्र उतमसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 16 एफ.टी.पी. (पन्नीवाली) तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

——**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर

दिनांक 22.03.2017

उपस्थितिः—

श्री विरेन्द्र सियाग, अभिभाषक अपीलांट।

श्री मलकीयतसिंह नदां, अभिभाषक रेस्पों.।

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय **दिनांक :—14.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण रेस्पो. ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष आदेश 39 नियम 2 क व 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने एक वाद पेश किया हुआ है

14/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उसमें प्रा.पत्र 212 आरटीए पर दिनांक 09.10.2000 को चक 3 टीके के मु.न. 39 की 12 बीघा भूमि को वाद के निर्णय तक हस्तान्तरण नहीं करने के आदेश दिये गये थे। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को बैंक में गिरवी रखकर ऋण ले लिया है। इस अप्राथीगण ने न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। अतः निवेदन है कि विवादित भूमि को कुर्क किया जावें।

अप्रार्थी ने जबाव प्राथना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी ने बैक से ऋण लिया है जो भूमि के हस्तान्तरण की परिभाषा में नहीं आता है। प्रार्थीगण न्यायालय के आदेश की कोई अवमाना नहीं की है। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र खारिज किया जावे ।

अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 22.03.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार से न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं की है। बैंक से ऋण्ज्ञ लेना हस्तान्ण की परिभाषा में नहीं आताहै। बैंक में भी बकाया ऋण राशि जमा करवाकर न्यायालय के समक्ष साक्ष्य कर देने का निवेदन किया । अधी. न्यायालय द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र पर रिसीवर नियुक्त किया है जबकि ऐसे प्रा. पत्र पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक.9.10.2000 को भूमि के हस्तारण नहीं करने का आदेश दिये थे उक्त आदेश के बावूजद अपीलांट ने विवादित भूमि करे बैंक से ऋण लेकर रहन रख दिया जो हस्तान्तरण की परिभाषा में आता हैं इस प्रकार अपीलांट ने न्यायालय के आदेशेा की अवहलेना करने पर अधी.न्यायालय ने विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज

14/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की जावे । अपने पक्ष के समर्क्षन में वकील रेस्पो. ने एआईआर 1992 इलाहाबाद पेज 326, एआईआर 1938 पटना पेज 569 की नजीरें पेश की ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

यह विचारणीय बिन्दु है कि बैंक ऋण लेना एवं भूमि रहन रखना हस्तान्तरण की परिधि में आता है या नहीं बाबत राजकीय अधिवक्ता की विधिक राय ली गई कि बैंक से ऋण लेना हस्तान्तरण की परिभाषा में आता है या नहीं ? इस सम्बन्ध में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी लिखित राय प्रस्तुत करते हुए कथन किया अपीलाधीन आदेश की पालना में कब्जा अपीलांट से लिया गया एवं भूमि का कब्जा बैंक द्वारा नहीं लिया गया एवं कब्जा अपीलांट के पास ही रहा है एवं उनकी राय अनुसार बैंक mortgage हस्तान्तरण की परिभाषा में नहीं आता है।

अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.03.2017 जिसमें विवादित आरजी को रिसीवर में लिये जाने के आदेश दिये है एवं निर्णय में जाहिर किया कि अधी. न्यायालय का प्रकरण संख्या 29/1998 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में दिनांक 09.10.2000 में निर्णय किया गया था कि चक 3 टीके मु.न. 39 की 12 बीघा भूमि का वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण हस्तान्तरण नहीं करें ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है जिस आदेश दिनांक 09.10.2000 की अवहेलना मानकर अधी.न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया है उस आदेश की सार यह है कि अपीलांट द्वारा बैंक से ऋण लिया है जबकि राजकीय अधिवक्त से राय लेने पर यह स्पष्ट हुआ कि बैंक ऋण लेना हस्तान्तरण की परिभाषा में नहीं आता है। अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.2.17 की पालना में उप तहसीलदार मुकलावा की पालना रिपोर्ट राजस्व /17/508 दिनांक 23.03.2017 द्वारा वादग्रस्त आराजी सरकारी कब्जा में ली गई, सूचना अधी.न्यायालय में पेश होकर पत्रावली पर उपलब्ध है । अतः कब्जा अपीलांट के पास ही रहा है यह रिकार्ड से प्रमाणित है। तदानुसार निर्णय दिनांक 09.10.2000 की अवहेलना नहीं होना प्रतीत होता है तथा अपीलांट के अभिभाषक

14/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

द्वारा यह जाहिर किया है तथा अगर न्यायालय आदेश करता है तो अपीलांट बैंक ऋण की राशि भरकर no dues प्रमाण पत्र पेश करने को तैयार है ।

उभय पक्ष के कथनों पर मनन करने के पश्चात रा.का.अ. की धारा 212 के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रिसीवर नियुक्ति का आदेश एक कठोर कदम है तथा अपीलांट अभिभाषक द्वारा दर्शाई वैकल्पिक व्यवस्थाए भी विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.03.2017 निरस्त किया जाता है एवं पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि अगर अपीलांट आदिनांक तक दो माह के भीतर बैंक ऋण जमा करवा कर no dues पेश करता है तो विवादित भूमि का कब्जा पुनः अपीलांट को सौंपा जावे तथा रिसीवर नियुक्ति का आदेश समाप्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर